

राज्य आनंद संस्थान
(मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग की पंजीकृत संस्था)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर भोपाल

www.anandsanathanmp.in / E-mail : anandsanathanmp@gmail.com

क्रमांक 224/आ.सं./क्लब/2017

भोपाल, दिनांक 30.06.17

प्रति

समस्त कलेक्टर

मध्यप्रदेश

विषय:- आनन्द क्लब के गठन का एवं उसका प्रचार- प्रसार के संबंध में प्रस्ताव।


परिपूर्ण एवं आनंदमयी जीवन के लिए आंतरिक एवं बाह्य सकुशलता आवश्यक है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध के दौरान इस बात के प्रमाण मिले हैं कि आन्तरिक सकुशलता के लिए जीवंत सामुदायिक जीवन महत्वपूर्ण है। व्यक्ति में सहकार एवं अर्पण की भावना/कार्य आनंद का संचार करते हैं। आनंद क्लब की परिकल्पना उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है।

2. आनन्द क्लब के संबंध में धारणा पत्र (Concept note) एवं क्लब के पंजीयन की प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। यह जानकारी संस्थान की वेबसाईट www.anandsanathanmp.in पर भी उपलब्ध है।

3. आनंद क्लब गठन के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रस्ताव कार्यवाही हेतु है:-

(1) आनंदकों का सम्मेलन आहूत करें सम्मेलन में आनंद क्लब की धारणा पर विचार विमर्श करें।

(2) आनंदकों को जिले में आनंद क्लब गठन के लिये प्रेरित करें।



(मनोहर दुबे)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ0क्रं0 225/आ.सं./क्लब/2017 भोपाल, दिनांक 30.06.17

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सिचव मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग, मंत्रालय
2. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
3. समस्त नोडल अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

राज्य आनंद संस्थान, मध्यप्रदेश

आनंद क्लब

1. आनंद क्लब की परिकल्पना

- 1.1 परिपूर्ण एवं आनंदमयी जीवन जीने के लिए विगत दशकों से साईस आफ हैप्पीनेस के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। भारतीय संस्कृति तथा दर्शन में भी आनंदमयी जीवन जीने के अनेक उपकरण उपलब्ध हैं। बहुत से व्यक्ति निजी स्तर पर ऐसी गतिविधियां संचालित करते हैं जिनसे समाज में सकारात्मकता तथा आनंद का प्रसार होता है। यह आवश्यक है कि ऐसे प्रयासों को एक संगठित रूप दिया जाए।
- 1.2 यह सामान्य अनुभव है कि अकेले धनोपार्जन अथवा भौतिक प्रगति समाज की खुशहाली का सूचकांक नहीं है।
- 1.3 हम जानते हैं कि किताबें पढ़कर दिया गया ज्ञान बहुत उथला होता है। इसलिए यह जरूरी है कि स्वयं सेवी (आनंदक) पहले यह कौशल खुद सीखें, उसे अपने जीवन में उतारे और फिर अपने अनुभवों को अन्य लोगों तक पहुंचाए तभी उनके द्वारा की गई गतिविधियां तथा प्रयास प्रभावी होंगे।
- 1.4 यह सामान्य अनुभव है कि भले ही प्रसन्नचित रहना हम सभी की जरूरत है परन्तु इसके लिए क्या करना चाहिए इसकी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं होती। विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार संतुलित रहा जा सकता है तथा सामान्य अनुभव में बिना उपलब्धि अथवा सफलता के आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है जानना सभी के लिए जरूरी है।
- 1.5 यह मान्यता है कि स्वयं और परिवेश के प्रति जागरूकता बढ़ा कर हम प्रसन्न रह सकते हैं। इससे सामाजिक समरसता तथा खुशहाली संभव होगी।
- 1.6 आनंदक क्लब की पहल इस विचार पर आधारित है कि
 - ऐसे व्यक्ति/ आनंदक जो आनंदित रहना चाहते हैं पहले स्वयं आनंदमयी जीवन जीने का कौशल सीखे, उसका जीवन में अनुसरण

करें एवं तत्पश्चात सामूहिक रूप से क्लब का गठन कर उसका अपने पड़ोस में प्रसार करें।

- " आनंदमयी जीवन " के दर्शन पर गहन विचार विमर्श/ ज्ञान प्राप्त किए बिना सामान्य समझ एवं जागरूकता के आधार पर छोटे-छोटे कार्य कर एवं आदतें विकसित कर आनंदित रह सकते हैं।

अगर आप ऐसा करने के इच्छुक हैं तो आप आनंद क्लब गठित करने की योग्यता रखते हैं।

1.7 कृपया निम्न प्रश्नों पर विचार करें :-

1. क्या स्वयं आनंदित रहना और उसका आसपास प्रसार करना चाहिए ?
2. क्या आप ऐसी गतिविधियां करना चाहेंगे जिससे जीवन में आनंद का अनुभव हो सके ?
3. क्या आप स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए तैयार हैं ?

अगर आपके तीनों उत्तर "हाँ" में हैं तो आप राज्य आनंद संस्थान के साथ जुड़कर आनंद क्लब के गठन की पहल अवश्य करें।

2. आनंद क्लब की गतिविधि :-

क्लब से यह अपेक्षा है कि

- क. उसके सदस्य माह में 2 बार एकत्रित होकर क्लब द्वारा चुनी गई गतिविधियों का प्रथमतः स्वतः अभ्यास करें, एवं तत्पश्चात आप पड़ोसियों में उसका प्रचार करें। ये गतिविधियां क्या होगी, इन्हें कैसे किया जाएगा, की जानकारी राज्य आनंद संस्थान द्वारा पंजीकरण के बाद उपलब्ध कराई जावेगी।
- ख. अल्प विराम का नियमित अभ्यास करें।
- ग. राज्य आनंद संस्थान द्वारा तैयार कैलेंडर को अपनाएं।
- घ. क्लब, संलग्न परिशिष्ट में से कोई भी कार्य या गतिविधियों का चुनाव कर कार्यवाही करें।

ड. क्लब का कोई भी पदाधिकारी/सदस्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी शासकीय योजना का लाभ देने का आश्वासन अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान कराने का आश्वासन या प्रलोभन या वादा नहीं देगा।

3. आनंद क्लब गठित करने की प्रक्रिया :-

- क. कोई भी व्यक्ति जो आनंदक के रूप में पंजीकृत है वह क्लब का गठन आरंभ कर सकता है। आनंदक बनने के लिए उसे वेबसाइट - www.anandsansthanmp.in पर स्वतः को पंजीकृत करना होगा।
- ख. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 का आनंदक जिसे आगे "प्रेरक आनंदक" कहा जाएगा अपने साथ कम से कम 4 अन्य व्यक्तियों को जोड़ेगा। इस प्रकार कुल 5 इच्छुक व्यक्ति मिलकर क्लब का गठन कर सकेंगे।
- ग. कालांतर में यह अपेक्षा है कि क्लब का प्रत्येक सदस्य अपने आपको आनंदक के रूप में पंजीकृत करे।
- घ. क्लब पंजीकृत करने के लिए वेबसाइट www.anandsansthanmp.in पर आनंद क्लब टैब को क्लिक करें। इस विकल्प में जो रजिस्ट्रेशन आवेदन खुलेगा उसमें निम्न बिन्दुओं पर जानकारी की आवश्यकता होगी:-
- I. क्लब का नाम
 - II. क्लब का कार्यालयीन पता एवं ई-मेल
 - III. क्लब के सदस्यों के नाम। साथ ही पदाधिकारियों का विवरण अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव कौन होंगे का स्पष्ट उल्लेख।
 - IV. आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में घोषणा पत्र पर सहमति।
 - V. भौगोलिक क्षेत्र का विवरण जिसमें क्लब अपना काम करेगा।

ड. आवेदन भरने के बाद क्लब का पंजीकरण हो जाएगा तथा पंजीकरण क्रमांक ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से संबंधित प्रेरक आनंदक को भेजा जाएगा। क्लब के किसी सदस्य के द्वारा अगर अवैधानिक अथवा अवांछनीय गतिविधियां की जाना पाया जाएगा, तो क्लब का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर उसे Website से हटा दिया जाएगा।

4. राज्य आनंद संस्थान की भूमिका :-

- I. आनंद क्लब का पंजीयन करेगी।
- II. पंजीकृत क्लब के सदस्यों को प्रशिक्षण तथा अध्ययन सामग्री आन लाईन उपलब्ध कराएगी जो क्लब की गतिविधियों का आधार होगा। आनंद के विषय पर हो रहे अनुसंधान की जानकारी देगी।
- III. क्लब के द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों का प्रचार प्रसार तथा उसे बेवसाईट www.anandsansthanmp.in पर प्रदर्शित करेगी।
- IV. उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्लब और आनंदकों की पहचान कर उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित करेगी। क्लब को किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- V. आनंद क्लब के सदस्यों को यथा संभव प्रशिक्षित करेगी।